AFR

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

WP (227) नं. 919 / 2019

आरक्षित दिनांक: 09.07.2020

निर्णय दिनांक: 10.08.2020

हर्षा देवानी, पिता – हरीश देवानी, उम्र – लगभग 27 वर्ष, पूर्व सहायक प्रोफेसर,
निवासी – गीतांजलि नगर, गली नं. 4, कश्यप कॉलोनी,
पुराना बस स्टैंड, बिलासपुर (छ.ग.)

––– याचिकाकर्ता

बनाम

आशुतोष गुप्ता, पिता – नारायण प्रसाद गुप्ता, उम्र – लगभग 28 वर्ष,
निवासी – कश्यप कॉलोनी, गली नं. 4,
थाना – सिटी कोतवाली, जिला – बिलासपुर (छ.ग.)

––– प्रतिवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता की ओर से: श्री विवेक कुमार त्रिपाठी, अधिवक्ता।
प्रतिवादी की ओर से: श्री मनोज कुमार परांजपे, अधिवक्ता।

माननीय श्री न्यायमूर्ति राजेंद्र चंद्र सिंह सामंत

CAV आदेश

1. यह याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत अधिकारों का प्रयोग कर दिनांक 23.10.2019 (अनुबंध P/1) को अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बिलासपुर, जिला – बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने हेतु दायर की गई है।

2. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी ने पहले हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 के अंतर्गत दीवानी वाद संख्या 258A/2017 दायर किया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान दिनांक 08.12.2018 को यह मामला

राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया। चूंकि प्रतिवादी/आवेदक ने उस मामले की कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाने की इच्छा जताई, इसलिए उसी दिन मामले का निपटारा कर दिया गया।

3. वर्तमान मामले में, प्रतिवादी ने पुनः दिनांक 01.05.2019 को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे वर्तमान दीवानी वाद संख्या 258A/2017 के रूप में पंजीकृत किया गया। याचिकाकर्ता ने CPC के आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 23 नियम 4 के अंतर्गत एक आवेदन दायर कर इस दीवानी वाद की स्वीकार्यता को चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि प्रतिवादी की पूर्व याचिका का निपटारा दिनांक 08.12.2018 को पहले ही किया जा चुका है।

4. याचिकाकर्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि CPC के आदेश 23 नियम 4 के अनुसार, यदि कोई वादी बिना न्यायालय की अनुमति के वाद को छोड़ता है, तो वह उसी विषयवस्तु पर दोबारा वाद दायर नहीं कर सकता। इसलिए, प्रतिवादी द्वारा पुनः दायर किया गया वाद स्वीकार्य नहीं था। लेकिन परिवार न्यायालय ने इस तथ्य और विधिक स्थिति को नजरअंदाज करते हुए याचिकाकर्ता की याचिका खारिज कर दी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (LSA अधिनियम, 1987) की धारा 21 के अनुसार, लोक अदालत द्वारा पारित कोई भी निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है तथा उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। अतः, दिनांक 08.12.2018 को पारित आदेश को अंतिम माना जाना चाहिए और प्रतिवादी द्वारा पुनः धारा 9 के अंतर्गत दायर आवेदन अवैध और अस्वीकार्य है।

6. प्रतिवादी के अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता की दलीलों का विरोध करते हुए प्रस्तुत किया कि पूर्व दीवानी वाद संख्या 258A/2017 की सुनवाई के दौरान न्यायालय के बाहर समझौता हो गया था, जिसके कारण प्रतिवादी ने लोक अदालत में प्रस्तुत किया कि वह इस वाद की कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। लेकिन चूंकि याचिकाकर्ता (प्रतिवादी की पत्नी) ने इस समझौते का पालन नहीं किया, इसलिए प्रतिवादी को दोबारा धारा 9 के तहत आवेदन दायर करने के लिए बाध्य होना पड़ा।

7. प्रतिवादी ने यह भी तर्क दिया कि दिनांक 08.12.2018 को पारित आदेश कोई "निर्णय" नहीं था, बल्कि मात्र एक "आदेश" था। LSA अधिनियम, 1987 की धारा 21 में "लोक अदालत का निर्णय" को ही अंतिम और बाध्यकारी माना गया है, न कि मात्र

आदेश। यह आदेश न तो किसी समझौते के आधार पर दिया गया था, न ही यह कोई डिक्री (decree) थी। यह केवल एक साधारण वापसी थी, जिसमें प्रतिवादी ने वाद को आगे न बढ़ाने की इच्छा जताई थी।

8. प्रतिवादी ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के द्वितीय अपील संख्या 233/2014 में डॉ. सोमेश पांडेय बनाम विशेश्वर प्रसाद पांडेय (निर्णय दिनांक 03.10.2016) के निर्णय पर भरोसा जताया। इस निर्णय में कहा गया है कि "रेस जुडिकेटा" (res judicata) का सिद्धांत तभी लागू होता है जब किसी मुद्दे पर पहले वाद में निर्णय हो चुका हो। चूंकि पूर्व वाद को केवल वापस लिया गया था और उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ था, इसलिए प्रतिवादी द्वारा पुनः दायर वाद विधिसंगत है और वर्तमान याचिका निराधार है।

9. न्यायालय द्वारा विचारण:

– न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड की जांच की।

– दिनांक 08.12.2018 को लोक अदालत में पारित आदेश से यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी उपस्थित था लेकिन याचिकाकर्ता (प्रतिवादी की पत्नी) अनुपस्थित थी।

– प्रतिवादी ने लोक अदालत में केवल यह बयान दिया कि वह वाद को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, जिसके आधार पर मामला निस्तारित कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. न्यायालय ने माना कि:

– पूर्व वाद में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र (धारा 9 के तहत) का कोई विधिक निर्णय नहीं हुआ।

– CPC की धारा 2(2) के अनुसार "डिक्री" का अर्थ है किसी विवाद के संबंध में न्यायालय द्वारा दिए गए अंतिम निर्णय का औपचारिक रूप। लेकिन लोक अदालत द्वारा पारित आदेश "निर्णय" की श्रेणी में नहीं आता।

– अतः, प्रतिवादी द्वारा पुनः दायर किया गया वाद निषिद्ध नहीं है।

11. न्यायालय का निष्कर्ष:

– न्यायालय ने याचिकाकर्ता की याचिका को अस्वीकार कर दिया और पाया कि प्रतिवादी द्वारा पुनः दायर किया गया वाद विधिसम्मत है। प्रतिवादी द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 के तहत पूर्व में दायर आवेदन में यह प्रार्थना की गई थी कि उसकी पत्नी, अर्थात वर्तमान याचिकाकर्ता, बिना किसी उचित कारण के उसके साथ रहना छोड़ चुकी है। इस मुद्दे पर पिछले वाद में कोई निर्णय नहीं लिया गया था, क्योंकि प्रतिवादी ने स्वयं उस वाद को वापस ले लिया था। इसके बाद, प्रतिवादी ने

पुनः धारा 9 के तहत वही प्रार्थना करते हुए एक नया वाद दायर किया, जो कि वर्तमान मामला है।

12. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 21 इस प्रकार है:

"21. लोक अदालत का पुरस्कार –

(1) लोक अदालत का प्रत्येक पुरस्कार दीवानी न्यायालय की डिक्री अथवा, जैसा भी मामला हो, किसी अन्य न्यायालय के आदेश के समान माना जाएगा। यदि किसी मामले को धारा 20 की उप–धारा (1) के तहत लोक अदालत में सुलह या समझौते के लिए भेजा गया हो और वहां समझौता या सुलह हो जाए, तो उस मामले में जमा किया गया न्यायालय शुल्क वापस कर दिया जाएगा, जैसा कि न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1987 में निर्धारित किया गया है।

(2) लोक अदालत द्वारा पारित हर पुरस्कार अंतिम और विवाद के सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा, और इस पुरस्कार के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील दायर नहीं की जा सकेगी।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. धारा 21 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि लोक अदालत का पुरस्कार एक दीवानी न्यायालय की डिक्री के समान माना जाएगा, जिसमें उन आदेशों को भी शामिल किया जाता है जो पक्षकारों के बीच लोक अदालत में हुए समझौते या सुलह के आधार पर पारित किए गए हों।

सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 2(2) के अनुसार "डिक्री" (decree) का अर्थ है,

"किसी न्यायालय द्वारा औपचारिक रूप से दिया गया निर्णय, जो वाद में विवादित विषयों में से किसी एक या सभी पर पक्षकारों के अधिकारों को निर्णायक रूप से निर्धारित करता हो।"

हालांकि, "पुरस्कार" (award) शब्द की परिभाषा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में नहीं दी गई है। इस शब्द का उल्लेख आर्बिट्रेशन और सुलह अधिनियम, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) में किया गया है। इस अधिनियम की धारा 2(1)(c) में "अंतरिम मध्यस्थीय पुरस्कार" (interim arbitral award) का संक्षिप्त उल्लेख मिलता है।

इस अधिनियम का अध्याय 6 (Chapter 6) "मध्यस्थीय पुरस्कार" (arbitral award) और प्रक्रिया की समाप्ति के संबंध में प्रावधान करता है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यह केवल मध्यस्थ (arbitrator) या मध्यस्थों द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है।

आदेश:

याचिका खारिज की जाती है।

14. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 20(1) यह प्रावधान करती है कि लोक अदालत किन मामलों का संज्ञान ले सकती है। इसके तहत, यदि दोनों पक्ष सहमत हों या किसी एक पक्ष द्वारा न्यायालय से अनुरोध किया जाए कि मामला लोक अदालत में सुलह हेतु भेजा जाए, और यदि न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि समझौते की संभावना है, तो वह मामला लोक अदालत को भेज सकता है। यह न्यायालय पर निर्भर करता है कि वह निर्णय ले कि मामला लोक अदालत के संज्ञान में लाने योग्य है या नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. अधिनियम, 1987 की धारा 20(4) यह प्रावधान करती है कि लोक अदालत को समझौते या सुलह के लिए शीघ्र निर्णय लेना चाहिए और यह न्याय, निष्पक्षता, तर्कसंगतता और अन्य विधिक सिद्धांतों का पालन करते हुए कार्य करेगी। धारा 20(5) यह कहती है कि यदि लोक अदालत द्वारा कोई पुरस्कार (award) पारित नहीं किया जाता क्योंकि दोनों पक्षों के बीच कोई समझौता नहीं हो सका, तो मामला उस न्यायालय को वापस भेज दिया जाएगा, जहां से यह संदर्भित किया गया था, ताकि वह विधि के अनुसार निपटारा कर सके।

16. सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश 23 के तहत सिविल न्यायालय को विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं। यदि CPC के आदेश 23 नियम 1 और अधिनियम, 1987 की धारा 20 की तुलना की जाए, तो स्पष्ट होता है कि लोक अदालत को आदेश 23 नियम 1 के तहत शक्तियाँ प्रदान नहीं की गई हैं। लोक अदालत, न्यायालय द्वारा संदर्भित किसी भी मामले में केवल धारा 20(4), 20(5) और 20(6) के अनुसार कार्य कर सकती है। इसमें यह उल्लेख नहीं है कि लोक अदालत किसी दीवानी वाद को वापस लेने की अनुमति दे सकती है। इसलिए, दीवानी वाद संख्या 258A/2017 में दिनांक 08.12.2018 को पारित आदेश लोक अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। यह आदेश कानून के तहत वैध नहीं है।

यह सिर्फ प्रतिवादी द्वारा वाद छोड़ने (abandonment) का मामला था, और लोक अदालत को इस तरह का आदेश पारित करने का अधिकार नहीं था। इसलिए, यह आदेश विधिक रूप से अमान्य है और इसे कोई वैधानिक बल प्राप्त नहीं है। यह आदेश किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विधिक अधिकारों के तहत पारित नहीं किया गया था, इसलिए इसे आदेश नहीं माना जा सकता।

17. दिनांक 08.12.2018 का आदेश दीवानी वाद संख्या 258A/2017 में पारित किया गया था, और प्रतिवादी का मामला केवल इस आधार पर समाप्त कर दिया गया कि दोनों पक्षों के बीच न्यायालय के बाहर समझौता हुआ था। चूंकि याचिकाकर्ता (पत्नी) ने इस समझौते का पालन नहीं किया, इसलिए प्रतिवादी को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 के तहत पुनः आवेदन दायर करने के लिए बाध्य होना पड़ा।

इस परिस्थिति में, प्रतिवादी द्वारा दूसरा दीवानी वाद दायर करना उचित था। यह स्पष्ट है कि 08.12.2018 का आदेश न तो किसी विवाद का निपटारा करता है और न ही यह किसी प्रकार का समझौता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इसके अलावा, यह आदेश CPC की धारा 2(2) के तहत "डिक्री" (decree) की परिभाषा में भी नहीं आता। अतः यह आदेश विधिक दृष्टि से अमान्य (nullity) है और कानून की दृष्टि में कोई आदेश नहीं माना जा सकता।

इसलिए, CPC के आदेश 23 नियम 1 और 4 इस मामले में लागू नहीं होते, जिससे प्रतिवादी को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 के तहत नया वाद दायर करने से रोका जाए।

18. यह भी ध्यान देने योग्य है कि वैवाहिक विवादों में कारण (cause of action) बार–बार उत्पन्न हो सकता है। भले ही किसी विवाद का पहले निपटारा किया गया हो और मामला वापस ले लिया गया हो, यदि बाद में पति–पत्नी के बीच फिर से मतभेद उत्पन्न होते हैं, तो यह एक नया कारण बन सकता है, जिसके आधार पर पक्षकार को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत नया वाद दायर करने का अधिकार प्राप्त होता है।

19. इस मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिवार न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। इसलिए, इस याचिका में कोई ठोस आधार नहीं पाया गया।

20. उपरोक्त आधार पर, यह रिट याचिका अस्वीकार किए जाने योग्य है और इसे खारिज किया जाता है।

हस्ताक्षर:
(राजेंद्र चंद्र सिंह सामंत)
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur